बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १० अप्रील १९५६ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

लोक-सेवा आयोग की सिफारिश।

२२५। श्री सरयू प्रसाद—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सूचित किये जाने पर लोक-सेवा आयोग ने १९५५ ई० में यह विज्ञप्ति निकाली थी कि प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट औफ पुलिस के दो रिक्त स्थानों की पूर्त्ति की जायगी;

(२) क्या यह बात सही है कि प्रतियोगिता परीक्षा के फल के बाद लोक-सेवा आयोग ने उपरोक्त दोनों स्थानों की पूर्त्ति के लिये नामों की सिफारिश की;

(३) क्या यह बात सही है कि लोक-सेवा आयोग की सिफारिश के बावजूद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के उन दोनों स्थानों में से किसी की पूर्त्ति नहीं की गई है;

(४) लोक-सेवा आयोग की सिफारिश को मान्यता प्रदान न करने का क्या कारण है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१), (२), (३) तथा (४) कम्बाइन्ड कम्पेटीटिव एक्जामिनेशन जो जनवरी, १९५५ में हुआ था उसके नतीजे के आधार पर दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जगहें भरी जाने वाली थीं और उसके बाद यह संख्या बढ़ा कर पांच कर दी गई है और उसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट्स कंडिडेट को दी जाने वाली थी। कमीशन ने केवल चार नामों की सिफारिश की है चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोई कंडिडेट प्राप्त नहीं हो सका। पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश के अनुसार ४ वकेन्सीज के भरने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है। ऐसी आशा की जाती है कि सरकार बहुत जल्द फैसला करेगी।

श्री सरयू प्रसाद—पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास कब पहुंची?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—पब्लिक सर्विस कमीशन की चिट्ठी कब आई उसका कागज अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन हमने जवाब दिया है कि चार नाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने भेजा था और उसके अनुसार बहुत जल्द बहाली होने वाली है।

श्री सरयू प्रसाद—पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा जो जनवरी में हुई थी उसका नतीजा कब निकला था?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, इतना डिटेल पूरक इस सवाल से कैसे उठता है? सवाल में तो यह है कि दो वकेन्सीज जो फिल अप होने वाली थी वह हुई या नहीं और मैंने इसका जवाब दिया है कि पहले दो जगहें भरी जाने वाली थीं और उसके बाद यह संख्या ५ कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम मांगा गया और उसने चार नाम भेजे। अब बहाली होने वाली है। अगर इससे अधिक और डिटेल माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री सरयू प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखने से मालूम होगा कि विलम्ब क्यों हो रहा है यही इस सवाल का आशय है इसीलिए हमने पूछा कि कमीशन की सिफारिश कब आई। अगर माननीय मंत्री के पास कागज मौजूद नहीं है तो वे केवल इतना ही बतला दें कि देरी क्यों हो रही है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसके लिए स्वतंत्र नोटिस चाहिए। हम समझते हैं कि विलम्ब का आभास प्रश्न के कोई अंग से नहीं उठता है।

पुलकित मोची को बर्खास्त किया जाना।

२२७। श्री यमुना राम—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री पुलकितमोची दरभंगा पुलिस लाइन में १९४२ ई० में सिपाही नियुक्त किये गये थे और १९५० ई० में बर्खास्त कर दिये गये, यदि हाँ, तो क्यों हटाये गये थे;

(२) उनकी बहाली के सम्बन्ध में सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) तथा (२) यह बात सही है कि सिपाही नं० ४२६, श्री पुलकित मोची सन् १९४५ में बहाल किए गए और सन् १९५० में दुराचरण (मिस-कंडक्ट) के कारण बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने डी० आई० जी०, पुलिस के यहां अपील की थी और वहां अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद से कोई आवेदन-पत्र उन्होंने पुनः बहाली के लिए नहीं दिया। अतः किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री यमुना राम—मैं यह जानना चाहता हूं कि दुराचरण का जो आरोप उन पर लगाया गया था वह क्या था?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आपने जो प्रश्न पूछा उसका हमने जवाब दिया और इसके अलावा मेरे पास डिटेल नहीं है इसलिए नोटिस की जरूरत है।

श्री यमुना राम—अध्यक्ष महोदय, सवाल में तो साफ है कि क्यों हटाये गये और इससे ज्यादा साफ क्या होता इसीलिए हमने पूछा कि क्या आरोप था?